बिस्कोमान

(बिहार एवं झारखण्ड)

आदेश

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक *LIV-03/2024-2099/*सा॰, पटना, दिनांक–07.09.2024 के द्वारा श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान के विरूद्ध बिस्कोमान के निदेशक मंडल एवं पदधारकों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रस्तावित उप–विधि की स्वीकृति सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर लंबित रहने एवं सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इसे अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धित तथ्यों को छुपाने सहित निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के पत्रांक *LIV-03/2024-1480/*सा॰, पटना, दिनांक–02.07.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किये जाने के उपरांत भी स्पष्टी करण नहीं समर्पित करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी ने अपने उक्त पत्र के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि श्री सिंह द्वारा अपने संदर्भ संख्या– निर्वाचन/213/एम–261, दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के कारण 4(चार) दिनों की समय की मांग की गई थी। उक्त समय सीमा बीत जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने की स्थिति में यह प्रतिवेदित किया गया है कि स्पष्टतः श्री सिंह को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

2. जिला पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक LIV-03/2024 2099/सा॰, पटना, दिनांक–07.09.2024 द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पटना द्वारा तथ्यों को छुपाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के फलस्वरूप सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्वाचन प्रक्रिया रद्द की गई थी। इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) द्वारा पत्रांक *LIV-03/2024-1480/*सा॰, पटना, दिनांक–02.07.2024 द्वारा आरोपित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग करने के बाद भी श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान द्वारा उसकी अवहेलना करने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

3. जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान के पत्रांक *LIV-03/2024-1480/*सा॰, पटना, दिनांक–02.07.2024 के द्वारा निम्नांकित आरोपित बिन्दुओं पर श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान से स्पष्टीकरण की मांग की गई थीः–

16/9/24

i. प्रबंध निदेशक, श्री सिंह द्वारा बिस्कोमान की जिस उपविधि को संचिका में उपस्थापित की गयी थी, वह प्रस्तावित थी तथा इस उपविधि का अनुमोदन सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर प्रक्रियाधीन था, इसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी अथवा कार्यालय को नहीं दी गयी।

ii. पत्रांक–1279 दिनांक–12.06.2024 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) द्वारा के स्तर से निर्गत पत्र जिसके द्वारा सभी डेलिगेट्स को निर्वाचन की जानकारी भेजी गयी थी, उस क्रम में भी श्री सिंह द्वारा इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया था कि जिस उपविधि को संख्या–27 के आधार पर सूचना भेजी जा रही है वह अनुमोदित नहीं है।

iii. सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उपविधि के अनुमोदन को अस्वीकृत किये जाने संबंधी पत्रांक– *L11016 / 17 / 2008 Reg* दिनांक–21.06.2024 से श्री सिंह द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया।

iv. दिनांक–02.07.2024 को श्री सिंह द्वारा दैनिक ''हिन्दुस्तान'' में इस संदर्भ में सूचना प्रकाशित करायी गयी, जिसके माध्यम से जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) को भी इसकी जानकारी मिली। उक्त प्रकाशित सूचना में अंकित है ''सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार'' (छायाप्रति संलग्न) इसे प्रकाशित करायी गयी, परंतु सक्षम प्राधिकार के रूप में निर्वाची पदाधिकारी से ऐसा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया।

v. नामांकन की प्रक्रिया के क्रम में श्री सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि निदेशक मंडल के केवल 17 पदों के लिए नामांकन होगा, जबकि प्रस्तावित उपविधि के तहत 21 पदों के निर्वाचन हेतु सूचना निर्गत कर प्रक्रिया जारी कराया गया है। उल्लेखनीय है कि पुरानी उपविधि के अनुसार 17 पद हीं निर्वाचन से निर्धारित होने थे। अतः श्री सिंह द्वारा प्रस्तावित उपविधि की अस्वीकृति के परिणाम से बचने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर नामांकन को 17 पदों तक सीमित कराया गया।

4. जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक LIV-03/2024 2099 / सा॰, पटना, दिनांक–07.09.2024 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक– प्र॰–24, दिनांक 10.09.2024 के द्वारा श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान से उनकी सफाई / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें दिनांक 13.09.2024 के अपराह्न 05:30 बजे तक समय दिया गया। निर्धारित समय सीमा के बाद श्री सिंह के द्वारा अपनी सफाई / स्पष्टीकरण दिनांक 16.09.2024 को प्रस्तुत किया गया।

16/9/24

5. आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) को स्पष्टीकरण में विलम्ब को स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया गया है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा समिति की उपविधि को स्वीकृत नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में तथ्य को निर्वाचन प्रक्रिया में कहीं भी छुपाया नहीं गया है। यह भी तथ्य दिया गया है कि जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान द्वारा संतुष्ट/सहमत होने के आधार पर निर्वाचित डेलिगेट्स की सूची प्रमाणित कर प्रकाशित की गई थी। आरोपित बिन्दुओं के अतिरिक्त तथ्य जो दिये गये है वह संदर्भ के आलोक में प्रासंगिक नहीं है। आरोप के बिन्दुओं से भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा बिन्दुवार दिनांक 16.09.2024 को दी गई सफाई/स्पष्टीकरण निम्नवत है:–

i. प्रस्तावित उपविधि का अनुमोदन सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर प्रक्रियाधीन रहने की जानकारी नहीं दिये जाने के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण है कि बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम–2002 के आलोक में उपविधि में संशोधन प्रस्तावित था एवं अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित उपविधि हेतु सामान्य निकाय की आम सभा के निर्णय के अनुरूप ही विधिवत उपस्थापित कर निर्वाचन कार्य नियमानुकूल प्रारंभ की गयी थी, जिसपर निर्वाची पदाधिकारी से आदेश संचिका में प्राप्त कर ही कार्य प्रारंभ हुई थी।

स्पष्टीकरण आरोपित बिन्दु के संदर्भ में भ्रामक है। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए संचिका पर निर्वाची पदाधिकारी की सहमति ली गई थी इससे इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु आरोप यह है कि उपविधि का अनुमोदन प्रस्तावित होने की जानकारी स्पष्ट रूप से निर्वाची पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, जिसका उल्लेख प्रमाणित रूप से नहीं है।

ii. आरोप कंडिका–2 जिसमें पत्रांक 1279 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सहकारी संस्थाओं का सूचना भेजने से सम्बन्धित है, संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण है कि निर्वाची पदाधिकारी के साथ विमर्श कर तथ्यों पर ही विधिवत संचिका में आदेश प्राप्त कर उक्त पत्र निर्गत की गई थी।

इस स्पष्टीकरण में भी आरोपित पदाधिकारी ने विमर्श कर जिम्मेवारी निर्वाची पदाधिकारी के उपर टालने का प्रयास किया है। वस्तुतः पत्रांक 1279 दिनांक 12.06.2024 का प्रारूप आरोपित पदाधिकारी को उपस्थापित करने में यह सावधानी बरतनी चाहिए थी कि उपविधि संख्या 27 अभी प्रस्तावित है एवं अभी उस पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपविधि 27 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करना चाहिए था।

iii. आरोप की कंडिका– 3 के सम्बन्ध में आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया संचालन अवधि में

16/9/24

सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को–ऑपरेटिव सोसाईटिज, भारत सरकार ने अपने पत्रांक L 11016 /072008 (Reg) दिनांक 21.06.2024 द्वारा उप–विधि की संबंधित संशोधन कंडिका–27 को अस्वीकृत नहीं किया बल्कि (Quote Lines) निदेश द्वारा पुनः प्रस्ताव उपस्थापन का आदेश निर्गत कर दिया गया। उनका यह कहना है कि दिनांक 21.06.2024 को यह बात संज्ञान में आया कि उपविधि 27 में संशोधन पर विचार नहीं किया गया है, उसी समय तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी से विमर्श किया गया था। उन्होंने यह बताया कि अब उपलब्ध उपविधि के तहत मात्र 17 निदेशकों का हीं निर्वाचन होगा।

आरोप के बिन्दु के स्पष्टीकरण के तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी ने प्रस्तावित उपविधि 27 के आधार पर 21 निदेशकों का निर्वाचन का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया था जो गंभीर प्रकृति के आरोप है। इसकी गंभीरता इससे भी पुष्ट हो जाता है कि जिसमें उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी को 17 निदेशकों की निर्वाचन की सूचना बाद में दी गई।

स्पष्ट रूप से किसी भी प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुमोदन हुए बिना निर्वाचन प्रक्रिया में उसका आधार बनाया जाना निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित एवं विचलित करने का परिचायक है।

iv. दिनांक 02.07.2024 को दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित सूचना के प्रकाशनार्थ निर्वाची पदाधिकारी से अनुमोदन नहीं लेने के बिन्दु पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि दिनांक 01.07.2024 को अपर समहर्त्ता एवं वरीय उप समहर्त्ता सहित कार्यालय के विधि पदाधिकारी तथा आरोपी पदाधिकारी के संयुक्त विमर्श में यह निर्णय हुआ कि तत्काल पूर्व की भांति स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सभी डेलिगेट्स को अवगत करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि सक्षम प्राधिकार के रूप में जिला पदाधिकारी(निर्वाची पदाधिकारी) से अखबार में सूचना प्राकाशित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही सूचना प्रकाशित की गई थी।

v. आरोप की कंडिका–5 में नामांकन के समय निदेशक मंडल के 17 पदों पर नामांकन होने का उल्लेख करना जबकि प्रस्तावित उपविधि के 21 पदो के निर्वाचन हेतु सूचना निर्गत की गई थी, के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि नामांकन प्रक्रिया अंतर्गत दिनांक 25.06.2024 को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय निर्वाचित डेलिगेट्स की सूची निर्गत कर यह निदेशित किया गया कि उक्त तिथि को प्रस्तावित उपविधि के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। तद्नुसार 17 पदों पर निर्वाचन संशोधित स्थानीय समचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुई थी। अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में आरोपित पदाधिकारी ने कार्यालय पत्रांक 445

16/9/24

दिनांक 07.08.2024 का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा केन्द्रीय निबंधक से प्रस्तावित उपविधि को स्वीकृत करने अथवा अगेत्तर कार्रवाई के मार्ग निर्देश की मांग की गई है।

आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अंश को स्वीकार किया जाता है, तब भी यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने निदेशक मंडल के 21 पदों के निर्वाचन के लिए सूचना क्यों प्रकाशित करायी थी। इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न करते हुए आरोपित पदाधिकारी ने तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है।

6. उपर की कंडिका– 5 में वर्णित आरोप, अरोपी के स्पष्टीकरण एवं वस्तु स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपित पदाधिकारी ने यद्यपि सामान्य निकाय के निर्णय के अनुरूप उपविधि 27 में संशोधन का प्रस्ताव केन्द्रीय निबंधक को अनुमोदन हेतु भेजा था। परंतु, उक्त उपविधि के अनुमोदन हुए बिना निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उस प्रस्तावित उपविधि के आधार पर ही बिस्कोमान से सम्बद्ध सहकारी समितियों को आम सूचना निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से प्रेषित करायी गई। प्रस्तावित उपविधि 27 के अनुसार निदेशक मंडल के 21 निदेशकों के निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करायी गई तथा बाद में नामांकन के समय 17 निदेशकों के निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रकार सहकारी समितियों के सूचना से भिन्न 17 निदेशकों के निर्वाचन प्रारंभ किया गया जो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को विचलित एवं दूषित करता है। यह भी प्रमाणित पाया गया कि बिना सक्षम/निर्वाची पदाधिकारी के अनुमोदन के ही स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गई जो अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही तथा सक्षम प्राधिकार को धोखे में रखने को इंगित करता है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी की भूमिका उस समय चल रहे निर्वाचन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से संदिग्ध प्रमाणित होती है।

7. उपर अंकित कंडिका 2 में वर्णित स्थिति कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा तत्समय निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, के क्रारण पुनः सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बिस्कोमान के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाना है। ऐसी स्थिति में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान के पद पर आरोपित पदाधिकारी को इनके पद पर बनाये रखना उचित नहीं है। श्री सिंह के संदिग्ध आचरण से जहाँ बिस्कोमान के निदेशक मंडल की चुनाव प्रक्रिया प्रदूषित हो सकती है, वहीं ऐसे कार्यकलाप से संस्था को क्षति भी पहुँच सकती है।

8. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनके

16/9/24

सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के संतोषप्रद एवं स्वीकार्य नहीं होने के आलोक में निदेशक मंडल निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) को प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान के पद से तत्काल के प्रभाव से मुक्त किया जाता है।

ह०/–
प्रशासक

ज्ञापांक प्र०-01/28 दिनांक 16-09-2024

प्रतिलिपिः–

1. उप–प्रबंध निदेशक/सचिव, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. विधि परामर्शी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
3. विशेष पदाधिकारी (प्रशासन) /मुख्य लेखा पदाधिकारी/केन्द्रीय लेखा/लेखा(स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी सम्बन्धित पदाधिकारी/सभी वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी/क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री राम प्रताप सिंह, प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड), पटना को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रशासक

ज्ञापांक प्र०-01/28 दिनांक 16-09-2024

प्रतिलिपिः–

1. ✓ सहायक निबंधक, (सहकारिता), सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार, भारत सरकार, नई दिल्ली, 9th Floor, Tower-E, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पटना –सह– निर्वाचन पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार एवं झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/24
प्रशासक